भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग

आयकर अधिनियम, 1961 के तहत गठित आयकर अपील अधिकरण में न्यायिक सदस्यों और लेखा सदस्यों के निम्नलिखित पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं : -

क. न्यायिक सदस्य : -

	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित	अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित	अनारक्षित	योग
वर्तमान रिक्तियां	05	01	04	10	20*
अग्रनीत रिक्तियां	01	01	शून्य	शून्य	02
योग	**06**	**02**	**04**	**10**	**22**

*न्यायिक सदस्यों की वर्तमान 20 रिक्तियों में से 2 रिक्तियां अस्थि-विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं । नियुक्ति के लिए निम्नलिखित निःशक्तताओं वाले अस्थि-विकलांग व्यक्तियों पर विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी उचित चिकित्सा बोर्ड द्वारा चिकित्सीय जांच की गई हो और चिकित्सीय प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाए:

(i) एक टांग प्रभावित { (क)पूरा न फैला सकना (ख) पकड़ कमजोर होना, और (ग) गति-विभ्रमता}
(ii) दोनों टांगें प्रभावित लेकिन बांहें प्रभावित नहीं ।
(iii) एक बांह प्रभावित (दायीं) और (बायीं) [(क)पूरा न फैला सकना (ख) पकड़ कमजोर होना, और (ग) गति-विभ्रमता]

ख. लेखा सदस्य

	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित	अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित	अनारक्षित	योग
वर्तमान रिक्तियां	02	01	02	06	11**
अग्रनीत रिक्तियां	शून्य	02	शून्य	शून्य	02
योग	**02**	**03**	**02**	**6**	**13**

**लेखा सदस्यों की वर्तमान 11 रिक्तियों में से एक रिक्ति अस्थि-विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित है । नियुक्ति के लिए निम्नलिखित निःशक्तताओं वाले अस्थि-विकलांग व्यक्तियों पर विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी उचित चिकित्सा बोर्ड द्वारा चिकित्सीय जांच की गई हो और चिकित्सीय प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाए:

(i) एक टांग प्रभावित { (क)पूरा न फैला सकना (ख) पकड़ कमजोर होना, और (ग) गति-विभ्रमता}
(ii) दोनों टांगें प्रभावित लेकिन बांहें प्रभावित नहीं ।
(iii) एक बांह प्रभावित (दायीं) और (बायीं) [(क)पूरा न फैला सकना (ख) पकड़ कमजोर होना, और (ग) गति-विभ्रमता]

2. रिक्तियों की ऊपर दर्शायी गई संख्या केवल अनुमानित है और उसमें दिनांक 31.12.2010 तक अप्रत्याशित कारणों से कमी अथवा वृद्धि हो सकती है ।

3. ये पद साधारण केंद्रीय सेवा समूह ''क'' (राजपत्रित) के हैं और इनका वेतनमान रुपये 22,400-600-26,000 (संशोधन-पूर्व) प्रतिमास है । इसके अतिरिक्त, नियमों में अनुज्ञेय अन्य भत्ते भी प्रदान किए जाएंगे । अभी ये पद अस्थायी हैं किन्तु इनके बने रहने की संभावना है ।

4. ऐसे अभ्यर्थी, जो पहले से ही सेवा में हैं और पेंशन के हकदार हैं, वे उन फायदों का लाभ उठाते रहेंगे ।

5. **अर्हताएं :** -

(क) **न्यायिक सदस्य:** न्यायिक सदस्य के पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए: (i) जिसने भारत के राज्यक्षेत्र में कम से कम दस वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो; अथवा (ii) जो भारतीय विधि सेवा का सदस्य रह चुका हो और जिसने उक्त सेवा में ग्रेड II का पद

या उसके समतुल्य या उससे उच्चतर पद कम से कम तीन वर्ष तक धारण किया हो; अथवा (iii)जिसने कम से कम दस वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया हो ।

स्पष्टीकरण : उपर्युक्त (क) के प्रयोजनों के लिए :

(i) भारत के राज्यक्षेत्र में न्यायिक पद धारण करने की अवधि की संगणना करने में वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान कोई व्यक्ति न्यायिक पद धारण करने के पश्चात अधिवक्ता रहा है अथवा उसने संघ या राज्य के अधीन कोई ऐसा पद धारण किया है जिसके लिए विधि का विशेष ज्ञान अपेक्षित है;

(ii) अधिवक्ता रहने की अवधि की संगणना करने में वह अवधि सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने अधिवक्ता होने के पश्चात न्यायिक पद धारण किया है या किसी अधिकरण के सदस्य का पद धारण किया है या संघ या राज्य के अधीन ऐसा कोई पद धारण किया है जिसके लिए विधि का विशेष ज्ञान अपेक्षित है ।

(ख) **लेखा सदस्य :** लेखा सदस्य के पद के लिए अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए: (i) जिसने (क) चार्टर्ड अकाउन्टेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38)के अधीन चार्टर्ड अकाउन्टेंट के रूप में; या (ख) जो ऐसी किसी विधि के अधीन जो पहले प्रवृत्त थी, रजिस्ट्रीकृत लेखाकार के रूप में; या (ग) भागतः ऐसे रजिस्ट्रीकृत लेखाकार के रूप में और भागतः चार्टर्ड अकाउन्टेंट के रूप में कम से कम दस वर्ष तक लेखा कार्य किया है; या जो (ii) भारतीय आयकर सेवा समूह "क" का सदस्य रह चुका है और जिसने कम से कम तीन वर्ष तक अपर आयकर आयुक्त या उसका समतुल्य पद या उच्चतर पद धारण किया है ।

6. **आयु :** अभ्यर्थी की आयु 31 मार्च, 2010 को 35 वर्ष और 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ऊपरी आयु सीमा सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों या केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उतनी शिथिल की जा सकती है जितनी सरकारी सेवा में ऐसे व्यक्तियों की भर्ती के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए । सदस्य की सेवानिवृत्ति की तारीख यह होगी जिस दिन वह बासठ वर्ष की आयु का होता है ।

7. **कर्त्तव्य** : आयकर अधिनियम, 1961 और उनके अधीन बनाए गए नियमों में यथाविहित ।

चुने गए अभ्यर्थियों को भारत में कहीं भी कार्य करना होगा । कृपया ऐसे व्यक्ति आवेदन न करें जो अपनी तैनाती किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में चाहते हैं । चुने गये अभ्यर्थियों को जैसे और जब सरकार द्वारा अपेक्षित हो, सेवा आरंभ करनी होगी ।

8. **परिवीक्षा अवधि** : दो वर्ष, जिसे केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है । परिवीक्षा के दौरान बिना कोई कारण बताए सेवा समाप्त की जा सकती है ।

9. अभ्यर्थियों द्वारा संलग्न प्रपत्र में विधिवत भरे गए और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र (सरकारी सेवकों की दशा में उचित माध्यम से और अद्यतन गोपनीय रिपोर्ट डोजियरों सहित) सचिव, भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग, डा0 राजेन्द्र प्रसाद रोड, शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110001 के पास दिनांक 31 मार्च, 2010 तक अवश्य पहुंच जाने चाहिएं ।

अधूरे और विलंब से प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे ।

प्रपत्र

----------पद के लिए आवेदन-पत्र

1. पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में) :
2. पता :
3. पिता का नाम :
4. जन्म स्थान और जन्म तिथि :
5. 31.03.2010 को आयु :
6. क्या आप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के हैं :

नोट :निर्धारित प्रपत्र में इस आशय के प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें । अन्य पिछड़े वर्ग के मामले में सम्पन्न तबके (क्रीमी लेयर) से संबंधित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें । अन्य पिछड़े वर्ग के सिर्फ वही प्रमाण-पत्र स्वीकार्य होंगे जो भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रपत्र में हैं ।

7. क्या आप अस्थि-विकलांगता से ग्रस्त हैं ? :
   यदि हां, तो उचित चिकित्सा बोर्ड के चिकित्सीय प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें जिसमें नि: शक्तता का स्पष्ट उल्लेख किया गया हो ।

8. वर्तमान उपजीविका (वृति/सरकारी सेवा) :
9. औसत मासिक आय/परिलब्धियां :

नोट: सरकारी सेवकों को अधिष्ठायी और स्थानापन्न पद पर वेतन तथा अधिष्ठायी और स्थानापन्न हैसियत में धारित पदों के वेतनमान और विशेष वेतन, यदि कोई हो, और अन्य भत्तों का विवरण देना चाहिए ।

विधि व्यवसाय करने वाले अभ्यर्थी निर्धारण वर्ष 2009-2010 की आयकर विवरणी सहित वर्ष के कर निर्धारण के पूर्ण आदेश की सत्यापित प्रति संलग्न करें जिससे यह दर्शित होता हो कि आयकर के प्रयोजन के लिए उनकी कुल आय कितनी है । यदि उक्त निर्धारण अभी पूरा नहीं हुआ है तो गत वर्ष के पूर्ण निर्धारण आदेश तथा निर्धारण वर्ष 2009-2010 के लिए फाइल की गई विवरणी की सत्यापित प्रति संलग्न करें ।

10. (क) शैक्षिक अर्हताएं, जिसमें वर्ष, कक्षा और प्राप्त रैंक का उल्लेख करें । :
    (डिग्री/डिप्लोमाओं की केवल सत्यापित प्रतियां संलग्न करें)
    (ख) वृत्तिक/विशेष अर्हताएं :

11. जिस पद के लिए आवेदन किया है, उसके लिए किस प्रकार अर्हित हैं (दिनांक 31.03.2010 को) :

12. पूर्व एवं वर्तमान रोजगार का विवरण, जैसे कि नियोक्ता का नाम, विशिष्टत: प्रथम पद से वर्तमान पद तक धारित पद, कार्यभार ग्रहण करने/छोड़ने की तारीख, रोजगार का स्वरूप , लिया गया वेतन (भत्तों को छोड़कर) प्रत्येक धारित पद के लिए अलग-अलग । उच्चतर न्यायिक सेवा के अभ्यर्थी उनकी उच्चतर न्यायिक सेवा में प्रोन्नति/नियुक्ति होने की तारीख का उल्लेख करें । भारतीय राजस्व सेवा के अभ्यर्थी आयकर के अपर आयुक्त तथा आयकर आयुक्त के पद पर प्रोन्नति की तारीख का उल्लेख करें (यदि आवश्यक हो, तो अलग कागज संलग्न करें) :

13. व्यावसायिक कैरियर का ब्यौरा अर्थात अधिवक्ता के रूप में नामांकन की तिथि व व्यवसाय करने की अवधि, चार्टर्ड एकाउंटेंट/रजिस्ट्रीकृत लेखाकार के रूप में पंजीकरण की तिथि व व्यवसाय करने की अवधि (प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें) :

14. पद ग्रहण के लिए कितनी अवधि की सूचना चाहते हैं :

15. क्या आयकर अपील अधिकरण के सदस्य के पद के लिए पहले भी आवेदन किया है? यदि हां, तो विवरण दें, जैसे वर्ष, यदि साक्षात्कार के लिए बुलाया गया हो, तो उसका स्थान, तारीख आदि :

16. विधि व्यवसाय करने वाले अभ्यर्थी निर्देशितियों के रूप में दो जिम्मेदार व्यक्तियों (जो नातेदार न हों) के नामों तथा पतों का उल्लेख करें । वे ऐसे दो जिम्मेदार व्यक्तियों के दो मूल शंसापत्र (प्रत्येक की एक-एक प्रतिलिपि सहित) भी भेजें, जो उनके नातेदार न हों और जिन्हें उनके कार्य की जानकारी हो । :

17. कोई अन्य विशेष अर्हताएं या अनुभव, जिनका ऊपर की मदों में उल्लेख न हो सका हो :

स्थान :

तारीख :

हस्ताक्षर